प्रेषक,

बिन्द गोपाल द्विवेदी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0, मैनपुरी, आगरा, झांसी, जालौन (उरई), हमीरपुर, बांदा, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मेरठ, रामपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, कानपुर, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, गोण्डा एवं बहराइच।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक- 10 अगस्त, 2018

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 में दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति (जिला योजना-सामान्य) अनुदान संख्या-16 के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दुग्धशाला विकास अधिकारी, दुग्धशाला विकास विभाग के पत्रांक-341/दुग्ध-4/नियो0/ तकनीकी निवेश-सामान्य(224)/2018-19, दिनांक-26 जुलाई, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में दुग्ध विकास विभाग के अन्तर्गत स्थापित संस्थाओं के माध्यम से प्रदेश के जनपदों में सहकारी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादक/सदस्यों को दुग्ध विकास कार्यक्रम के माध्यम से लाभान्वित कराने, इनकी आर्थिक स्थिति में उत्थान करने के लिए तकनीकी इनपुट योजना चलाये जाने हेतु दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 250.00 लाख (रू0 दो करोड़ पचास लाख मात्र) के सापेक्ष 50 प्रतिशत अर्थात रू0 125.00 लाख (रू0 एक करोड पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-5/2018/569/53-2-18-2(44)/15, दिनाक 12 अप्रैल, 2018 द्वारा अवमुक्त की गयी है । अत: चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-16 के अंतर्गत अवशेष धनराशि रू0 125.00 लाख(रू0एक करोड पच्चीस लाख मात्र) द्वितीय किश्त के रूप में व्यय हेतु **संलग्नक** के अनुसार निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में जमा किया जाता है, जिस पर ब्याज अर्जित होता है, तो उस ब्याज की राशि को निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराये जाने का दायित्व विभाग का होगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु है। धनराशि का व्यय जिन कार्यो/ मदों हेतु अनुमन्य है उसी प्रयोजन में व्यय किया जायेगा। किसी अन्य मद में किया गया व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि में से अनुरक्षण मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि किसी अनुरक्षण मद पर कोई व्यय आवश्यक हो तो दुग्ध संघ/ समितियां अपने संसाधन से वहन करेगें।

(4) परिव्यय की उपलब्धता विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(5) प्रश्नगत धनराशि से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लघु, सीमान्त कृषकों को लाभान्वित कराते हुए पशु प्रजनन कार्यक्रम, पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, एवं प्रचार-प्रसार कार्यक्रम संचालित किये जायेगें।

(6) दवाओं आदि का क्रय निर्धारित प्रक्रिया व मानकों के अनुसार ही किया जायेगा।

(7) जिन मदों में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका के अधीन शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति आवश्यक है उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये। इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30-03-2018 एवं अन्य सुसंगत शासनादेश के निदेशों का कडाई से अनुपालन किया जाय।

(8) अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाये तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेश/संगत नियमों में उल्लिखित शर्तो व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/धनराशि का उपयोग करने वाले इकाई प्रभारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें। किसी भी प्रकार की विचलन की स्थिति में भी वे स्वयं ही जिम्मेदार होगें।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(9) धनराशि का आहरण करने तथा सम्बन्धित दुग्ध संघ को उपलब्ध कराने के बाद स्वीकृत धनराशि का निर्धारित प्रयोजन पर उपयोग सुनिश्चित कराकर उपयोगिता प्रमाण पत्र दुग्ध आयुक्त को यथा समय उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित प्रबन्धक/सामान्य प्रबन्धक दुग्ध संघ एवं उप दुग्धशाला विकास अधिकारी का होगा। यह भी शर्त है कि एतदद्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण तथा उसके उपभोग के सम्बन्ध में आहरण अधिकारी के लेखे-बही खाते एवं सम्बन्धित दुग्ध संघों के लेखे एवं बही खाते भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के अवलोकनार्थ/ परीक्षणार्थ उपलब्ध रहेगें।

(10) धनराशि किसी भी स्तर पर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। संदर्भगत मद में स्वीकृत समस्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष के अंत तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा ।

2- उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-16 के अधीन लेखाशीर्षक-**'2404-डेरी विकास-102-डेरी विकास परियोजनायें-03-दुग्ध विकास कार्यक्रम-0301-दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश (जिला योजना)-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)"** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-1-530/दस-2018, दिनांक-08अगस्त, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव।

संख्या-20/2018/1204(1)/53-2-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
5- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्करोड, लखनऊ।
6- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उ0प्र0।
7- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
8- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
9- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3
10- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी उ0प्र0।
11- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
12- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
13- मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश।
14- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in